राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :–एफ4(ई)लिंक नं. /निप/अलेसे III/23/1116-1120 दिनांक :– 15-12-2023

आदेश

श्री भीखम सिंह हाल सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I एवं अन्य द्वारा दिनांक 05.08.2023 को विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर ने अपील संख्या 19/2022 द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 26.07.2023 के क्रम में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

मान0 अधिकरण ने दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश में उल्लेख किया कि "प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा कनि0 लेखाकार के पद पर हुई थी और वर्तमान में लेखाकार के पद पर कार्य कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1990 एवं 1992 में नियम 1963 के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया और जिनमें कुछ लोगों को लेखाकार के पद पर एवं कुछ अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया। नियमों में प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 1994 में चयन प्रक्रिया अपनाई गई उसमें मेरिट आधार पर लेखाकार पद पर नियुक्त किए गए, परन्तु अपीलार्थीगण को सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गयी। जहां तक अपीलार्थीगण को सीधी भर्ती द्वारा चयन वर्ष 1994 में लेखाकार के पद पर चयन न किए जाने का प्रश्न है हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि वर्ष 1994 में सीधी भर्ती द्वारा लेखाकार के पदों की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी थी, परन्तु फिर भी न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यामक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।"

मान0 न्यायालय के आदेश के अनुसरण में श्री भीखम सिंह ने विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर 1994 बैच के उच्च वरीयता प्राप्त कनि0 लेखाकारों को नियुक्ति तिथि से लेखाकार के पद पर नियुक्ति करवाते हुए वरिष्ठता में शामिल कर तदनुसार पदोन्नति का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

श्री भीखम सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:–

विभागीय रिकॉर्ड अनुसार उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व एवं लेखा–I) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(19)वित्त/राले–1/78 दिनांक 05.01.93 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखाकार के पद पर 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 80 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रावधान को बदल कर सभी पदों को कनिष्ठ लेखाकार से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का निर्णय लिया गया था इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

विभाग द्वारा उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत कनिष्ठ लेखाकार के 500 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना क्रमांक 413 दिनांक 16.04.1994 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई गयी। विभाग द्वारा प्रेषित अर्थना के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/94–95 दिनांक 13.05.1994 जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 33855 दिनांक 07.10.1995 के द्वारा पूर्व में प्रेषित रिक्त पदों में वृद्धि करते हुए कुल 600 पदों की संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई गयी। आयोग द्वारा उक्त कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा, 1994 का आयोजन दिनांक 14.06.1995 से 18.06.1995 तक करवाकर दिनांक 10.10.1995 को उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 7227 दिनांक 24.11.1995 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा, 1994 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना नियुक्ति हेतु इस निदेशालय को भिजवाई गयी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा नियुक्ति सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कनि0 लेखाकार भर्ती परीक्षा 1994 में चयन होने के उपरान्त आरपीएससी अजमेर द्वारा अभिस्तावना भिजवाने के उपरान्त विभाग द्वारा श्री भीखम सिंह (मेरिट 15/1994) को कनि0 लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी।

उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व एवं लेखा–I) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(19)वित्त/राले–1/78–II दिनांक 27.06.1995 के द्वारा वित्त विभाग के पूर्व समसंख्यक पृष्टांकन दिनांक 05.01.93 में उल्लेखित तथ्यों पर पुनर्विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि लेखाकार के 20 प्रतिशत पद यथावत सीधी भर्ती से भरे जावेंगे।

अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 के क्रम में विभाग में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रकरण से सम्बन्धित नियमों का परीक्षण किया गया।

वर्ष 1994 की भर्ती में राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में कनि0 लेखाकार की सीधी भर्ती की अनुशंषा आरपीएससी अजमेर को की गई एवं तद्नुसार कनि0 लेखाकार के पदों पर विज्ञप्ति जारी होकर भर्ती हुई। चूंकि उक्त विज्ञप्ति में लेखाकार के रिक्त पदों का कोई उल्लेख नहीं हुआ, ऐसे में लेखाकार के रिक्त पदों पर कोई भर्ती की विज्ञप्ति न होने से न तो इनकी भर्ती प्रकिया हुई न ही अब किसी प्रकार से कोई अनुतोष श्री भीखम सिंह को दिया जाना संभव है। आरपीएससी अथवा अन्य किसी भर्ती एजेन्सी का भर्ती हेतु सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिन रिक्त पदों की विज्ञप्ति निकाली जाती है उन्हीं पदों पर भर्ती आयोजित होती है। ऐसी स्थिति में उस समयकाल में लेखाकार के रिक्त पद थे अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं रहता। यदि उस समय रिक्त पद रहे भी हों तो बाद की भर्ती में ये पद सम्मिलित होना स्वाभाविक है, जिसे राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति जारी कर उक्तानुसार आरपीएससी अजमेर द्वारा भरा गया।

अतः उक्त भर्ती वर्ष में लेखाकार की सीधी भर्ती न होने के कारण श्री भीखम सिंह एवं अन्य के अभ्यावेदन अनुसार 1994 बैच के उच्च वरीयता प्राप्त कनि0 लेखाकारों को नियुक्ति तिथि से लेखाकार के पद पर नियुक्ति करवाते हुए वरिष्ठता में शामिल कर तद्नुसार पदोन्नति के लाभ का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार श्री भीखम सिंह एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :–एफ4(ई)लिंक नं. /निप/अलेसे III/23/1116–1120 दिनांक :– 15-12-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. श्री भीखम सिंह, स.ले.अ.ग्रेड़–कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परियोजना) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II/III)